भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1964 का उत्तर

हैड ऑफिस कोटा जारी करने के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पत्र

1964. श्री बालूभाऊ धानोरकर *उर्फ* सुरेश नारायणः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के समय में रेल मंत्रालय/भारतीय रेल/रेल जोनों को हैड ऑफिस (एचओ) कोटा जारी करने के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्रों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे पत्रों और जारी किए गए कोटे की संख्या सहित तत्संबंधी रेल जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वीआईपी व्यक्तियों के पत्रों के संबंध में जान-बूझकर, पक्षपातपूर्ण और अनियमितताओं के लिए एमआर प्रकोष्ठ के अधिकारियों के विरुद्ध वीआईपी/संसद सदस्यों की ओर से लगातार शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

हैड ऑफिस कोटा जारी करने के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पत्र के संबंध में 03.07.2019 को लोक सभा में श्री बालूभाऊ धानोरकर *उर्फ* सुरेश नारायण के अतारांकित प्रश्न सं. 1964 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): उच्च पदाधिकारी मांगपत्र (एचओआर) धारकों, जिनमें केंद्र सरकार के मंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय/विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद सदस्य शामिल होते हैं, की तत्काल यात्रा आवश्यकताओं और अन्य आकस्मिक मांगें, जो प्रतीक्षा-सूची में होती हैं, को पूरा करने के लिए विभिन्न गाड़ियों में और विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटे के रूप में बर्थों/सीटों की सीमित संख्या निर्धारित की गई है। यह कोटा वारंट ऑफ प्रीसिडेंस के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार रेलवे द्वारा जारी किया जाता है और इसमें काफी लंबे समय से एक सुनिर्धारित परिपाटी अपनाई जा रही है। सीटों/बर्थों के आबंटन के समय पर वारंट ऑफ प्रीसिडेंस में उनकी पारस्परिक-वरिष्ठता का कड़ाई से अनुपालन करते हुए स्वयं यात्रा करने वाले एचओआर धारकों/संसद सदस्यों आदि के लिए सर्वप्रथम आपातकालीन कोटा आबंटित किया जाता है। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अन्य मांगपत्रों पर विचार किया जाता है और शेष कोटे को यात्रियों, सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करने जैसी तात्कालिकता, परिवार में शोक, बीमारी, नौकरी के लिए साक्षात्कार, आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। यद्यपि, एचओआर धारकों/माननीय सांसदों द्वारा स्वयं यात्रा के लिए प्राप्त अनुरोधों को पूरा किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए अग्रेषित किए गए अनुरोधों के मामले में, मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण ऐसे सभी अनुरोधों को समाहित करना, कभी-कभार व्यावहारिक नहीं होता।

(ख): चूंकि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं, और दिन प्रतिदिन आधार पर उनके संबंध में कार्रवाई की जाती है, इसलिए एचओआर धारकों/माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त अनुरोध सहित आपातकालीन कोटा से स्थान रिलीज करने संबंधी अनुरोधों का ब्यौरा केवल मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ही सुरक्षित रखा जाता है।

(ग): जी नहीं। बहरहाल, गणमान्य व्यक्तियों और कुछ रेल अधिकारियों के जाली लैटर हैड के प्राधिकार पर आपातकालीन कोटे से सीट रिलीज करवाने के प्रयास के कुछ मामले

ध्यान में आए हैं। चूंकि अधिक भीड़-भाड़ वाली अवधियों के दौरान इस प्रकार के पत्रों के संबंध में आरक्षण कर्मचारी सतर्क रहते हैं, इसलिए इन पत्रों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है। इन पत्रों के जाली होने की पुष्टि होने पर इस प्रकार के अनुरोधों पर कोई सीट रिलीज नहीं की जाती और आपराधिक मामला दर्ज करने जैसी आगे की कार्रवाई की जाती है।

******

Sk